न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 22/2014 **दायर दिनांकः 10/10/2014**

उनवान

1. दानमल आयु 66 वर्ष पुत्र पन्ना जाति माली निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

अप्रार्थीः– विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 12/10/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मेरमाचाह तह0 अटरू जिला बारां मुताबिक जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 के खाता संख्या 99 की ख0नं0 251 की 1 बीघा, 269 की 1 बीघा 5 बिस्वा, 538 की 4 बीघा 16 बिस्वा, 625 की 7 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 4 का रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा आराजी खातेदार पन्ना पुत्र हरलाल जाति माली निवासी मेरमा चाह के खाता दर्ज चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी पुरानी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नवीन जमाबन्दी खाता संख्या 103 के ख0 नं0 381 का रकबा 0.13 है0, 403 की 0.14 है0, 787 की 0.54 है0, 787/973 की 0.28 है0, ख0नं0 866 की 1.00 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.09 है0 बनाये गये है। नवीन जमाबन्दी संवत 2067–2070 एवं खसरा मिलान क्षैत्रफल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी साबिक खसरा नम्बरान के नये ख0नं0 बनाते समय अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीगण ने गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुऐ पुराने रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा के नवीन खसरा नं0 कुल किता 5 का रकबा 2.09 है0 बनाये है जबकि पुराने रकबे के अनुसार नया रकबा 2.25 है0 दर्ज करना चाहिए जो वास्तविक रकबा 2.25 है0 से 0.16 है0 कम दर्ज किया

गया है। वर्तमान में आराजी पन्ना के स्थान पर उसके वारिस प्रार्थी दानमल पुत्र पन्ना के खाता दर्ज है। अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्वक इन्द्राज किया गया है जबकि मौके पर प्रार्थी पूरे रकबा 2.25 है0 पर ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है मौके पर रकबा पूरा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में 0.16 है0 कम दर्ज की है इस कारण प्रार्थी इन्द्राज दुरूस्त करवा कर 2.09 है0 भूमि के स्थान पर वास्तविक रकबा 2.25 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा पाने का अधिकारी है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है नवीन जमाबन्दी वाके ग्राम मेरमाचाह का इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर 5 किता की 2.09 है0 के स्थान पर 2.25 है0 आराजी दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/563 दिनांक 15.05.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया किः–

बिन्दु संख्या 1– जमाबन्दी संवत 2036–39 के अनुसार वादी दानमल के पिता पन्नालाल पुत्र हरलाल जाति माली निवासी मेरमाचाह के नाम बन्दोबस्त से पूर्व बिन्दू में अंकित भूमि किता 4 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा का कथन स्वीकार है।

बिन्दु संख्या 2– स्वीकार है नवीन जमाबन्दी में किता 5 रकबा 2.09 है0 बना है मिलान क्षेत्रफल अनुसार रकबे में 2.25 है0 के स्थान पर 2.09 है0 दर्ज होने से कमी रकबा 0.16 है0 की कमी हुई है।

बिन्दु संख्या 3– खातेदार पन्ना फौत होने पर उसके पुत्र दानमल के नाम भूमि किता 5 रकबा 2. 09 है0 वादी के खाते में दर्ज है।

बिन्दु संख्या 4– दुरूस्ती हेतु अधिकार न्यायालय से संबंधित है।

बिन्दु संख्या 5– वर्तमान खसरा संख्या 866 का रकबा मौके पर 1.16 है0 रकबा मौजूद है जबकि रेकार्ड में 1.00 है0 दर्ज किया हुआ है। अतः रकबा दुरूस्त कर ख0नं0 866 का 1.16 है0 किया जाना उचित होगा।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 व pw2 शपथ पत्र किये गये। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि

ग्राम मेरमाचाह का इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर खाता संख्या 103 की किता 5 की 2.09 है0 के स्थान पर 2.25 है0 आराजी दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम मेरमाचाह की जमाबंदी संवत 2036–39 (प्रदर्श–1) को स्पष्ट है कि विवादित आराजी तात्कालीन ख0नं0 251 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 269 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 538 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा तथा ख0नं0 625 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा कुल कितaा 4 कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा भूमि खातेदार पन्ना पुत्र हरलाल जाति माली के नाम दर्ज था। वर्ष 1989 में सेटलमेन्ट शुरू हुआ। भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त साबिक खसरा नम्बरों के हाल/नये ख0नं0 381 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 403 की 0.14 है0, ख0नं0 787 की 0.54 है0, ख0नं0 787/973 की 0.28 है0, ख0नं0 866 की 1.00 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.09 है0 बनाये गये। प्रदर्श–3 नकल मिलान क्षैत्रफल (भू–प्रबंध विभाग) संलग्न है। इस प्रकार प्रदर्श–1 एवं प्रदर्श 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुरानी /साबिक रकबे 14 बीघा 2 बिस्वा का नया रकबा 2.09 है0 बनाया गया जबकि यह 2.25 है0 करना चाहिऐ था। भू–प्रबंध विभाग द्वारा पन्ना पुत्र हरलाल माली की भूमि का रकबा 0.16 है0 कम दर्ज किया।

5. अभिभाषक वादी द्वारा दौरान–ए–बहस तर्क किया कि भू–प्रबंध विभाग के कार्मिकों द्वारा लापरवाही व गफलत कर रिकार्ड में प्रार्थी की भूमि का रकबा 2.25 है0 से घटाकर 2.09 है0 कर दिया, जिसका भू–प्रबंध अधिकारी को कोई अधिकार नही है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये जवाब का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा पत्र पत्र क्रमांक/राजस्व /2018/563 दिनांक 15.05.2018 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी के रकबे में मौके पर कोई कमी नही हुई है, सिर्फ राजस्व रिकार्ड में रकबा कम कर दिया गया। मौके पर प्रार्थी के खेत की चतुर्थ सीमाऐं सेटलमेंट के बाद पूर्ववत है। प्रतिवादी द्वारा बिन्दुवार जवाब पेश कर बिन्दु संख्या 1 में स्वीकार किया है कि सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थी की भूमि का कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा था। बिन्दू संख्या 2 में स्वीकार किया है कि प्रार्थी पन्नालाल पुत्र हरलाल की ग्राम मेरमाचाह स्थित आराजी का रकबा सेटलमेंट द्वारा 2.25 है. की जगह 2.09 है0 दर्ज कर कुल रकबे में 0.16 है0 की कमी कर दी। बिन्दु संख्या 5 में स्वीकार किया है कि प्रार्थी के हाल ख0नं0 866 का मौके पर रकबा 1.16 है0 है जबकि रिकार्ड में 1 है0 दर्ज है। अतः प्रार्थी का रकबा दुरस्त कर ख0नं0 866 का रकबा 1.16 है0 किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 4 में स्वीकार किया कि खातेदार पन्ना पुत्र हरलाल माली के फौत होने के बाद यह विवादित आराजी उनके पुत्र दानमल पुत्र पन्ना माली के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है।

6. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा लेखबद्ध कराये गये बयान गवाहों pw1 व pw2 का भी अवलोकन किया गया। दोनों गवाहों ने अपने बयानों में कहा है कि प्रार्थी मौके पर आज भी पूर्ववत 2.25 है0 भूमि पर काबिज काश्त है। केवल रिकार्ड में रकबा घटाकर 2.09 है0 कर दिया गया है। pw2 ने अपने बयान में कहा है कि प्रार्थी की भूमि का रकबा घटाकर पास के सरकारी रास्ते का रकबा बढा दिया गया है। प्रार्थी की उक्त आराजी के भू नक्शे का भी अवलोकन किया गया। ख0नं0 866 के दक्षिण पश्चिम में स्थित ख0नं0 865 रकबा 0.09 है0 किस्म चारागाह, पश्चिम में ख0नं0 864 रकबा 1.33 है0 किस्म चारागाह, उत्तर में अन्य खातेदार का ख0नं0 866/958 रकबा 1.1 है0 व पूर्व में ख0नं0 1186/868 रकबा 0.48 है0 केलाबाई पत्नी रामकल्याण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के हाल ख0नं0 866 की मौका स्थिति व प्रतिवादी के जवाब से स्पष्ट है कि ख0नं0 866 का रकबा 0.16 है0 कम करके लगवां खसरे 865 व 864 में बढा दिया गया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने ए बहस तर्क किया गया कि सेटलमेन्ट के कार्मिकों को किसी भी खातेदार की भूमि के रकबे, नाम आदि में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है और अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1983 आर आर डी 64 मातादीन बनाम श्रीराम, 1997 आर आर डी 504 पूसाराम बनाम राजस्व मण्डल एवं 1969 आर आर डी 231 पेश किये।

7. मै यहा भी उल्लेखित कर देना उचित समझता हूॅ कि इस न्यायालय द्वारा एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक विनिर्णयों में इस आशय का सुस्थापित सिद्धान्त प्रतिपादित कर रखा है कि भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व रेकार्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के इन्द्राज परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नही है। वह पुराने इन्द्राजात को ही दोहरा सकते है। इस सम्बंध में मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। कि –

2008 (i) आर. आर. टी. 151 गीगा राम व अन्य बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> Rajasthan Tenancy act. 1955-sec. 88-suit for declaration –petititoners declared khatedar tenant of kh. No. 734-RAA reversed the judgment & upheld by BOR-Setitiement Department had no right to change the existing entries even admitting the possession of father respondent no 4-Respondent no 4 should have filed an independent suit held RAA & Board were not justified in reversing the hudgment & decree.

2007 (i) आर.आर.टी. 27 रामपाल व अन्य बनाम राधेश्याम में मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि –

Rajasthan Tenancy act. 1955- sec. 212 Temporary injunction - settlement department attested the mutation though department has no right to change the entries petitioner was recorded as khatedar injamabandi of Svt. 2021 to 2026 attestation of mutation by settlement department is without jurisdiction & ab initio void-held mutation no 729 set aside & declared void.

आर.बी.जे. (10) 2003 पेज 118 रुपनारायण बनाम कजोडमल में राजस्व मण्डल की एकल पीठ में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि –

Rajathan land revenue act. 1956 section 136 - Settlement authorities have no power to delete the original entries and make new entries.- in the case during the settlement operations. ASO deleted the name of the applicant who is recorded khatedar of the disputed land and made entries in the name of non applicants; whereas settlement authorities have no power to delete the original entries and make new entries without any order of the competent court. Revision accepted.

2009(2) आर.आर.टी. 954 मोहम्मद मुस्ताक व अन्य बनाम पिरु व अन्य में राजस्व मण्डल की एकल पीठ में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि –

Rajathan land revenue act. 1956 section 136 - Application for correction of entries – Notice issues to respondent P but did not appear & as per jamabandi of Svt. 2034-37, Collector ordered to enter the land as siwai chak in khata no. 1-L.R.O. is empowered to correct the entries - Settlement authorities have no power to delete the original entries- concurrent finding are just & legal – Held, orders upheld.

8. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टातो के विवेचन, एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल मेरमाचाह तह0 अटरू जिला बारां में ख0नं0 866 के लगवां ख0नं0 865 का सम्पूर्ण रकबा 0.09 है0 एवं ख0नं0 864 रकबा 1.33 है0 में से 0.07 है0 भूमि प्रार्थी के खाते दर्ज रिकार्ड कर ख0नं0 866 का कुल रकबा 1.16 है0 दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां